न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 04/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/36)

निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण:–

1. जेठुसिंह पुत्र श्री भोमसिंह जाति राजपूत के वारिसान
   1/1. लक्ष्मण सिंह पुत्र जेठूसिंह
   1/2. रूप सिंह पुत्र जेठूसिंह
   1/3. परबत सिंह पुत्र जेठूसिंह
   1/4. नरपत सिंह पुत्र जेठूसिंह
   1/5. पवनकंवर पुत्री जेठूसिंह
   1/6. अनोपकंवर पुत्री जेठूसिंह
   सभी जातियान राजपूत निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. किशोर सिंह पुत्र श्री मगसिंह जाति राजपूत
3. हेम सिंह पुत्र श्री मगसिंह जाति राजपूत
4. शंभू सिंह पुत्र श्री मगसिंह जाति राजपूत
5. उम्मेदसिंह पुत्र श्री मगसिंह जाति राजपूत
6. रामसिंह पुत्र श्री मगसिंह जाति राजपूत
   निवासीगण ग्राम कांकाणी तहसील लूणी, जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार:–

1. हनवंत सिंह पुत्र मालमसिंह
2. जब्बर सिंह पुत्र मालमसिंह
3. हरीसिंह पुत्र मालमसिंह
4. मोहनसिंह पुत्र मालमसिंह
   निवासी ग्राम कांकाणी, ग्राम पंचायत मोगडा कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा सं. 76, प्रस्ताव सं. निल, मिसल सं. 95/60–61, दायरा दिनांक 20.06.1960 जो ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा दिनांक 11.12.1960 को जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री मोती सिंह राजपुरोहित (प्रार्थीपक्ष की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री अनिल राठी (अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से)

–निर्णय– **दिनांक : 22.07.2025**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोगडा कला, पंचायत समिति, लूणी द्वारा जारी पट्टा सं. 76 दिनांक 20.06.1960, मिसल सं. 95/60–61 प्रस्ताव सं. निल को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 21.09.2016 को 55 वर्ष बाद पेश की है।
2. प्रकरण के तथ्य निगरानी अनुसार इस प्रकार है कि पट्टे में वर्णित भूमि निगरानीकार व रेस्पोंडेंट्स की शामलाती भूमि है, जिसमें जवाहरसिंह जी के तीनों पुत्र सरदार सिह, भौमसिंह एवं भैरू सिंह का 1/3–1/3 हिस्सा है एवं हिस्से अनुसार विभाजित है तथा भूमि मौके पर खाली पडी है, जिसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है, फिर भी ग्राम पंचायत ने बिना किसी प्रस्ताव के तथा जिला कलक्टर की अनुमति के पट्टा सं. 76 दिनांक 20.06.1960 जारी किया गया है, जिसकी कोई मिसल ग्राम पंचायत में नही है तथा न ही पट्टे में वर्णित राशि जमा कराने की रसीद ग्राम पंचायत की ऑडिट बुक में दर्ज है। इस पट्टे की जानकारी प्रार्थी द्वारा पट्टा सं. 106 दिनांक 25.09.1960 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत निगरानी में पारित निर्णय से हुई। जिस पर दिनांक 23.08.2016 को नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 05.09.2016 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी हुई। पट्टा सं. 76 दिनांक 20.06.1960 विधि विरूद्ध व अधिकार विहिन है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा सं. 76 दिनांक 20.06.1960 को अपास्त किया जावे।
3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अनिल राठी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा इस न्यायालय द्वारा निगरानी सं. 15/2015 में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2016 की फोटोप्रति पेश की।
4. ग्राम पंचायत मोगडा कला पट्टा सं. 76 दिनांक 20.06.1960 से संबंधित अभिलेख पत्रांक 579 दिनांक 28.09.2016 से तलब किया गया, जिसकी पालना में ग्राम पंचायत सचिव ने दिनांक 14.10.2016 के पत्रांक से पट्टा रजिस्टर वर्ष 1960–61 कमांक 1 से 100 तक, बैठक कार्यवाही पंजिका दिनांक 02.05.1960 से

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

19.05.1961 तक पेश की तथा अवगत कराया कि मूल मिसल सं. 95/60–61 वर्तमान में ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई।

6. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा पट्टा सं. 76 दिनांक 20.06.1960 मिसल सं. 95/60–61 में जारी किया है, जिसके लिए पट्टा धारक ने कोई आंवेदन नहीं किया तथा बिना आवेदन के पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टा जारी करने बाबत भी साधारण सभा से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया है। पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। पट्टा पुराना कब्जा बताकर जारी किया है जबकि मौके पर भूखण्ड खाली है, कोई मकान बना हुआ नहीं है। निगरानीकार व अप्रार्थीगण एक ही पारिवार के है तथा जवाहर सिंह जी के वंशज है तथा जवाहर सिंह जी के पुत्र भोमसिंह के वंशज निगरानीकार है तथा भैरूसिंह के वंशज अप्रार्थीगण है। विवादग्रस्त भूखण्ड शामलाती है जिसका कभी भी मौखिक या लिखित रूप से विभाजन नहीं किया गया है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा अकेले अप्रार्थीगण के नाम पट्टा जारी किया गया है। भूखण्ड के पडौसी के हस्ताक्षर नहीं कराए तथा भूमि का नापचौक भी नहीं किया गया। निगरानी पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसे अनुमत कर निगरानी स्वीकार की जावे तथा विवादग्रस्त पट्टा निरस्त किया जावे।

7. अप्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि इसी प्रकरण में पूर्व में इसे पट्टा सं. 106 बताकर निगरानी पेश की गई थी, जिसे इसी न्यायालय ने निगरानी सं. 15/2015 में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2016 से खारिज किया है। उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय ने विवेचन करते हुए अपना निष्कर्ष अंकित किया है जिसमें वर्तमान निगरानी के पट्टा सं. 76 के बारे में निष्कर्ष दिया है, निर्णय दिंनाक 11.08.2016 की प्रति पत्रावली पर मौजूद है। उसी अनुसार निर्णय पारित कर हस्तगत निगरानी अस्वीकार की जावे।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर अवलोकन किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख को भी देखा। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया।

9. (a) निगरानीकर्ता ने यह निगरानी गाम पंचायत मोगडा कला द्वारा मिसल सं. 95/60–61 दायरा दिनांक 20.06.1960 में जारी पट्टा सं. 76 को निरस्त करने

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

हेतु पेश की है। ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टा बुक अनुसार पट्टा सं 76 दिनांक 11.12.1960 को मिसल सं. 95/60–61 दायरा दिनांक 20.06.1960 में श्री मालूम सिंह पुत्र भैरूसिंह व हणवंतसिंह, जबरसिंह, हरीसिंह, मोहनसिंह पुत्र श्री मालूम सिंह के नाम जारी किया गया है। यह पट्टा भूमि विक्रय नियम की धारा 18 के अंतर्गत सरपंच, ग्राम पंचायत, मोगडा कला के हस्ताक्षर से 2299 वर्गगज (9196 वर्गफुट) का 18 रू. रसीद सं. 76 दिनांक 11.12.1960 से वसूल की जाकर जारी हुआ है तथा पट्टे की प्रमाणित प्रति भी जिला अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट, जोधपुर से जारी की गई है, जो प्रार्थी स्वयं ने पेश की है। पट्टे में पडौस अंकित है, जिसमें पूर्व में चौक निकाल व बारणा, पश्चिम व उत्तर में रास्ता आम दर्शाया, है तथा दक्षिण में जोरावर सिंह जी का मकान बताया है। यह पट्टा भूमि का मूल्य 286 रू. आंक कर धारा 18 के अनुसरण में 6.25 प्रतिशत की रकम 18 रू. रसीद सं. 76 दिनांक 11.12.1960 से वसूल किया जाकर जारी किया गया है।

(b) ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत बैठक पंजिका दिनांक 02.05.1960 से 19.05.1961 तक का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पक्ष में विवादग्रस्त पट्टा जारी करने में निम्न कार्यवाही किया जाना पाया गया–

1. दिनांक 20.06.1960 की बैठक कार्यवाही के प्रस्ताव सं. 6 में मिसल सं. 27 से 102 तक नई दर्ज कर नक्शे तैयार करने के आदेश दिये गये, जिसमें मिसल सं. 95/60–61 शामिल होना पाया जाता है।
2. ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 08.07.1960 के प्रस्ताव सं. 3 अनुसार पट्टा मिसल सं. 27 से 102 तक में नक्शे तैयार हुए। पर्यवेक्षण हेतु पंच नियुक्त किये।
3. ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 22.07.1960 के प्रस्ताव सं. 2 के अनुसार पट्टा मिसल सं. 27 से 102 तक की पंचों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। एतराज हेतु एक माह का मियादी नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया।
4. दिनांक 22.08.1960 की बैठक में प्रस्ताव सं. 6 से पट्टा मिसल सं. 77 से 98 तक में पुराने कब्जे का सबूत लेकर धारा 18 के अनुसार नियत दर 6.25 प्रतिशत से पट्टे दिये जाने का निर्णय लिया गया।
5. बैठक दिनांक 06.09.1960 के प्रस्ताव सं. 6 अनुसार पट्टा मिसल सं. 1 से 102 तक में आपत्ति पंचों की म्याद समाप्त हो गई। अतः पुराने कब्जे का सबूत पेश हो।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

6. बैठक दिनांक 25.09.1960 के प्रस्ताव सं. 6 अनुसार पट्टा मिसल सं. 1 से 102 तक में पुराने कब्जे का सबूत लिया गया। धारा 18 अनुसार 6.25 प्रतिशत से पट्टा फीस लेकर पट्टे दिये जाने का निर्णय लिया गया।

(c) ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत पट्टा विलेख बुक अनुसार मिसल सं. 95/60–61 में पट्टा सं. 76 दिनांक 11.12.1960 को मालूमसिंह वगैरा के नाम सरपंच श्री मान सिंह के हस्ताक्षरों से जारी होना पाया गया। जो हमारी सुविचारित राय में 55 वर्ष में विद्यमान प्रकिया व परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, विधिवत प्रकिया अपना कर जारी होना पाया जाता है। इसकी पुष्टि पूर्व निगरानी सं. 15/2015 में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2016 से भी होती है।

10. प्रार्थी ने 55 वर्ष बाद यह निगरानी पेश की है, जिमसें पट्टा दिनांक 20.06.1960 को जारी होना बताया है, जो रिकॉर्ड अनुसार सही नहीं है। पट्टा जारी करने की प्रकिया दिनांक 20.06.1960 से शुरू होकर दिनांक 11.12.1960 को समाप्त हुई है तथा प्रार्थीगण ने आक्षेपित भूमि पर पुराना कब्जा होने का कोई सबूत पेश नहीं किया है। अतः मेरिट के आधार पर भी निगरानी सारहीन व बलहीन पाई जाती है तथा अस्वीकार योग्य है।

आदेश

11. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी खारिज की जाती है।
12. ग्राम पंचायत मोगडा कला से प्राप्त मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।
13. अन्य लंबित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) निस्तारित किये जाते है।
14. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर